

राहुल के खिलाफ बड़ी साजिश
हुई नाकाम : कांग्रेस

पृष्ठ 3

अग्रिमत

■ सही आंकड़े छुपा कर विकास के झूठे दावे

पत्र नहीं मित्र

पृष्ठ 4

■ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग होगी : शहबाज
■ मुझे येना ने बंधक बनाया : नाइजर के राष्ट्रपति

पृष्ठ 9

17 साल के गुकेश ने लाइव
टेलिंग में आनंद को पछाड़ा

पृष्ठ 10



बिलासपुर, शनिवार, 5 अगस्त 2023 | वर्ष - 33 | अंक - 97 | पृष्ठ - 12 | मूल्य - 4.00 रु

मानहानि मामले में राहुल को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई

- कांग्रेस नेता की बहाल होगी संसद सदस्यता
- लोकसभा अध्यक्ष से मिले अधीर रंजन चौधरी
- विव्याहिती प्रियांका

नईदिल्ली, 4 अगस्त (देशबन्ध)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सुरक्षा नियन्त्रित अदालत के लिए उम्मीद दिलाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक याचिका पर सन्वादी पूरी हो जाती है, दोषसिद्धि पर रोक लगायी रहेगी। अदालत ने कांग्रेस नेता को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाया। इस फैसले के बाद अब राहुल की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायमूर्ति भी आर गवइ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिंहा और न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार की शीर्ष अदालत की पीठ ने संविधान पत्रों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति गवइ ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपाधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम अधिकतम दो सालों की सजा देने के लिए की ओर चौथी वार्षिक वर्ष के अंत में दो सालों की सजा देने की जीत दी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सजा और जुर्माने दोनों के प्रावधान हैं। पीठ में गुजरात उच्च न्यायालय के इस संदर्भ में राहुल गांधी की अपील खारिज करने के फैसले पर कहा कि दोषसिद्धि पर रोक को खारिज करने के लिए काफी पत्र खर्च किए हैं,

सार संक्षेप

मुख्यमंत्री ने शहीद महेंद्र कर्णा को जयंती पर किया याद

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता सर्वानीय महेंद्र कर्णा की 5 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ दिवानसभा में विपक्ष के नेता और मंत्री के रूप में मोदेंद कर्णा जी ने महवूर्षी प्रियंका दिवानीयों संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया।

जिस्टिस जयंत नाथ डीर्घारसी के अध्यक्ष नियुक्त

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ को शुक्रवार को दिल्ली विद्युत नियमकाम आयोग (ईडीआरसी) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया।

'इडिया' के नेताओं की बैठक में मणिपुर पर फिर नांगा मोदी का बयान

नईदिल्ली। डीडीएल नेशनल डेवलपमेंट इंवेल्यूसिए एलायंस यात्री इडिया पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को के संसद में बैठकों की और एक बार परिषद मणिपुर दिवान पर दावों सदावों में प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी के बयान की मांग पर जोर देने का फैसला किया। 'इडिया' नेताओं की बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड्गों के कथन में हुई।

बॉन्बे हाई कोर्ट के जज ने अदालत में दिया इस्टीफा

बॉन्बे हाई कोर्ट के जज ने नागपुर का अध्यक्ष घटानाक्रम में, बॉन्बे हाई कोर्ट के जज ने जिस्टिस रोहित वी. देव ने शुक्रवार दोपहर यहाँ खुली अदालत में अपना इस्टीफा दे दिया। पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने संतान विभाग के कांग्रेसी जीवित जारी रखने की ओर अपने विशेष अनुमति दी। उन्होंने अपने विशेष अनुमति याचिका पर सुनाए हैं कि लिए सहमति व्यक्त की थी।

देवदार्ढु

बिलासपुर, शनिवार, 5 अगस्त 2023 | वर्ष - 33 | अंक - 97 | पृष्ठ - 12 | मूल्य - 4.00 रु

अग्रिमत

■ सही आंकड़े छुपा कर विकास के झूठे दावे

■ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग होगी : शहबाज
■ मुझे येना ने बंधक बनाया : नाइजर के राष्ट्रपति

पृष्ठ 10

मानहानि मामले में राहुल को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई

- कांग्रेस नेता की बहाल होगी संसद सदस्यता
- लोकसभा अध्यक्ष से मिले अधीर रंजन चौधरी
- विव्याहिती प्रियांका



निचली अदालत ने अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड सहित के तहत निर्वाचित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विवेश

वजह नहीं बाईता : सुप्रीम कोर्ट

लोकिन उनके (उच्च न्यायालय के) आदेशों में इन परामर्शदाता के कारणों पर विचार

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे। सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में सूरक्षा कोर्ट से राहत दिलाई थी। अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद

राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने बाल की सजा में राहुल गांधी की सजा देने के बावजूद अभी तक याचिका पर भारतीय दंड के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दो सालों की सजा देने की जीत हो गयी।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र से बने थे संसद


राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद थे।

सुरक्षा कोर्ट ने ब

अभिमत

सही आंकड़े छुपा कर विकास के झूठे दावे

इं



जगदीश रत्नानानी

टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस (आईआईपीएस) एक प्रतिष्ठित डीम्ड भारतीय विश्वविद्यालय है। 63 साल पुराना यह संस्थान अन्य कार्यों के अलावा अत्यधिक सम्पादित और प्रसिद्ध राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) श्रृंखला और रिपोर्टों के लिए प्रसिद्ध है। इन रिपोर्टों में एनएफएचएस रांड के तहत डेटा विश्लेषण किया गया है जिसने पिछले तीन दशकों से भारत की जनसांख्यिकी की ओर रिपोर्टों का एक स्वतंत्र बुनियादी नज़रिया प्रदान किया है ताकि हमें बताया जा सके कि नीतित निर्देशों से जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहा है या नहीं। इस प्रकार आईआईपीएस डेटा पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर काम करता है जो सरकार को उसके कामों का आईना दिखाता है और नीतित कार्यों को सही दिशा में चलाने में मदद कर सकता है।

इस महत्वपूर्ण संस्थान के निदेशक प्रसिद्ध जनसांख्यिकी, शोधकर्ता और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व संकाय सदस्य प्रोफेसर के पास जेम्स को पिछले हफ्ते निलंबित कर दिया गया। उन्हें जांच पूरी होने तक मुश्यालय क्षेत्र मुंबई न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस निर्णय से आईआईपीएस के फैकल्टी और पूर्व छात्र सदस्यों में है। विपक्ष ने इस कदम की आलोचना की है। इस घटनाक्रम से वैज्ञानिक और अन्य संकायों के सदस्य चिन्तित हैं कि निलंबन किन कारणों से किया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मामले की जानकारी रखने वालों का कहना है कि निदेशक को हटाने के लिए पहले कई तरह के प्रयास की गयी हैं और इसके बाद निलंबित कर दिया गया। उन्हें जांच पूरी होने तक मुश्यालय क्षेत्र मुंबई न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस निर्णय से आईआईपीएस के फैकल्टी और पूर्व छात्र सदस्यों में है। विपक्ष ने इस कदम की आलोचना की है। इस घटनाक्रम से वैज्ञानिक और अन्य संकायों के सदस्य चिन्तित हैं कि निलंबन किन कारणों से किया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मामले की जानकारी रखने वालों का कहना है कि निदेशक को हटाने के लिए पहले कई तरह के प्रयास की गयी हैं और इसके बाद निलंबित कर दिया गया। जाविर तीर पर उन्हें कुछ महीने पहले इसीका देने के लिए कहा गया था लेकिन जेम्सने कथित तीर पर बह कहते हुए इंकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वे बिना किसी कारण के इसीका नहीं देंगे।

इस निलंबन से एक बार फिर यह आशंका पैदा हो रही है कि सरकार संस्थानों

को नियंत्रित करने और उन लोगों को दीक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है जिन पर वह लगाम नहीं लगा पा रही है। यह सच है कि जेम्स का निलंबन सजा नहीं है बल्कि जांच होने तक की गई कार्रवाई है। यह भी सच है कि सरकार को प्राप्त शिकायतों या सुचानाओं के आधार पर जांच करने का अधिकार है। लेकिन आगे अंदरूनी खबरों पर भरोसा किया जा ए तो यह भी उतना ही सच है कि सरकार निदेशक को बाहर करना चाहती थी, लेकिन अगर यह अनियमिताओं का मामला है तो निदेशक को कैसे और क्यों जाने के लिए कहा जाएगा और जांच भी तभी शुरू की गई जब उन्होंने चुपचाप जाने से इंकार कर दिया?

ये सबाल तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आईआईपीएस के काम को जनसांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों को सामने रखने में इसकी भूमिका, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक संकेत, प्रजनन क्षमता, माता पाता बाल मृत्यु दर, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, पोषण की स्थिति, टीकाकरण की पहुंच, पानी, स्वच्छता, लैंगिक हिस्सा और यहां तक कि मधुमेह और रक्तचाप जैसी जीवन शैली की आधुनिक बीमारियों के प्रसार जैसे प्रमुख मापदंडों में देखा जाता है।

एनएफएचएस- 5 की 2019-2021 की रिपोर्ट में अन्य आंकड़े भी हैं जो हमें बताते हैं कि भारत वास्तव में अच्छा नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए एनएफएचएस- 5 के दौरान छह महीने से पांच वर्ष की आयु के 67 फैसली बच्चों में एनीमिया (हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 ग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे) था जो एनएफएचएस- 4 (2015-16) के 59 फैसली के अनुमान से अधिक है। एनीमिया के कारण बच्चों का विकास धीरे गति से होता है और न्यूरो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है।

एनएफएचएस- 5 ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के 36 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं। भवलब यह कि उनकी उम्र के हिसाब से विकास बहुत कम है जो एनएफएचएस- 4 में देखे गए क्रोनिक कुपोषण के मामले में मामूली बदलाव बताता है जो केवल 38 फैसली है। इसी तरह पांच साल से कम उम्र के 19 प्रतिशत

को हटाने के साथ काम करता है।

इस निलंबन से एक बार फिर यह आशंका पैदा हो रही है कि सरकार संस्थानों

को नियंत्रित करने और उन लोगों को दीक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है जिन पर वह लगाम नहीं लगा पा रही है।

राजनीतिक दावों व अधिकारियों द्वारा पेश कर्जी आंकड़ों तथा जमीनी आंकड़ों के बीच का विरोधाभास स्वतंत्र रूप से आंकड़े रिपोर्ट

करने में समर्थ आईआईपीएस के स्वतंत्र एनएफएचएस चलाने के महत्व को प्रतिपादित करता है। हालांकि आईआईपीएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफब्ल्यू) का एक हिस्सा है किन्तु यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे कभी भी अपने सर्वेक्षणों और निष्कर्षों पर सवालों का सामना नहीं करना पड़ा है। वास्तव में एनएफएचएस का सर्वेक्षण विश्वस्तरीय है।

बच्चे कमजोर हैं अर्थात् उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत पतले हैं जो एनएचएफएस- 4 में देखे गए 21 फैसली से थोड़ा ही कम है। यह घातक कुपोषण का संकेत है। 32 फैसली बच्चे कम बजन के हैं जो एनएचएफएस- 4 के दौरान 36 फैसली से कम हैं।

ये आंकड़े एक तरह से उस सरकार के सामने की चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं जो उनका उत्तर संकेत का दावा करते और उन सभी लड़ाइयों, योजनाओं एवं मिशनों में जीत की बात करते की जल्दी में है जिन्हें वह उत्तरागर करना चाहती है। जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं उनकी सच्ची कहानी थोड़ी अलग है। यथार्थ को स्वीकार करने, नीति को दुरुस्त करने और बांधित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए खर्च को प्राथमिकता देने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन खोखले दावे जल्द ही खोखले साबित होंगे। वे दर-सबर सरकार की छिप खराब करेंगे। सरकार एक ऐसे भारत की कहानी नहीं बना सकती जो एक वैशिक, विशाल और मजबूत अर्थव्यवस्था है जिसमें एनीमिया, दुबलि, अविकसित और कुपोषित बच्चे हैं। भारत खुले में शोच से मुक्त होने की धोषणाओं के साथ स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसके बजाय सरकार से योग्य सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ विकास बाल करना करती है। अगर प्रयासों में अधिक समय लगता है तो भी यह एक अच्छी यात्रा होगी। यह यात खराब अच्छा होगा कि इसका युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना के सुप्रभाव विमानावाहक पोत पर 'प्रियं पूर्ण' की धोषणा करने की राष्ट्रपति जोर्ज बुश की हड्डियां संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आपादा के अलावा कुछ नहीं लाइ। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आईआईपीएस द्वारा दी गई एनएफएचएस- 5 में देखे गए क्रोनिक कुपोषण के मामले में मामूली बदलाव बताता है जो केवल 38 फैसली है। इसी तरह पांच साल से कम उम्र के 19 प्रतिशत

को हटाने की जरूरत नहीं देंगे।

(लेखक वरिष्ठ प्रयोगकारक हैं। सिडिकेट : दी बिलियन प्रेस)

बीता सप्ताह

29 जुलाई

■ चीन के फुजियान प्रांत में इस साल का पांचवां टूफान डोवसुटी पहुंचा। ■ ज्यातिरादिव्य सिद्धिया पहली बार ग्वालियर के आरएसएस दफ्तर पर पहुंचे। ■ हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया।

■ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरामेया को हाईकोर्ट का नाटिस वर्ला के विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराए जाने के मामले को लेकर दिया गया।

■ 'ईजिया' के 21 सांसदों का दल मणिपुर में बून्दी व्यवस्था ठप्पे हैं। डीजापी तलब किए गए। ■ दिल्ली में अफसरों की पौटिंग, ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।

■ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को चंद्रयान- 3 अंतरिक्ष यान को पूर्णी की तरफ रखा।

■ तमिलनाडु की पटाया यूनिट में धमाका होने से आठ लोगों की मौत हो गई।

■ पाकिस्तान खेड़े पर पक्ष्यान्धा गन्धी को पूर्णी संसदी देंगे। ■ छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी की विधायिका ने छत्तीसगढ़ के लिए एक विधायिका के नाम का शिलान्यास किया गया।

■ भारतीय अंतरिक्ष यान अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को चंद्रयान- 3 अंतरिक्ष यान को पूर्णी की तरफ रखा।


■ भारतीय अंतरिक्ष यान अनुसंधान संगठन ने एक विधायिका के नाम का शिलान्यास किया गया।

■ भारतीय अंतरिक्ष यान अनुसंधान संगठन ने एक विधायिका के नाम का शिलान्यास किया गया।

■



क्योंकि देखा देखाल किसान हमाए सबसे दृढ़दाल



श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

23.23 लाख किसानों को
18,208 करोड़ रु की आदान सहायता

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

4.98 लाख हितग्राहियों को
476.67 करोड़ रु की
आर्थिक सहायता

गोधन न्याय योजना

ग्रामीणों, गौठन समितियों और
महिला स्व-सहायता समूहों को
430 करोड़ रु की राशि

छत्तीसगढ़ सरकार
भरोसे की सरकार



9,270
करोड़ रु
का अल्पकालीन
कृषि ऋण माफ़

325
करोड़ रु
का सिंचाई कर
माफ़

4,200
एकड़
आदिवासियों की
कृषि भूमि वापस

पहली बार
3 लाख
तक का
बिना ब्याज का
अल्पकालीन ऋण

10,400
करोड़ रु
की सिंचाई पर
बिजली बचत